''06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम
(सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी / Community Health Officer) के पद हेतु''

–: अनुबंध पत्र :–

अभ्यर्थी श्री / श्रीमति / कु. ....पिता / पति..................................

स्थायी पता ....

.... द्वारा ''06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी / Community Health Officer)' में प्रवेश के लिये निम्नांकित शर्त के संबंध में अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पक्ष ''मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–................................., एवं द्वितीय पक्ष अभ्यर्थी होगा। इस अनुबंध में निम्नलिखित शर्ते होंगी :–

1. यह कि उक्त पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल का उपयोग जनहित में किया जाएगा।
2. यह कि उक्त कोर्स हेतु शैक्षणिक शुल्क का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा किया जाएगा तथा अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम के दौरान रहने व भोजन खर्च के लिए मासिक शिष्यवृत्ति एकमुश्त प्रतिमाह रू. 10000 /– (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) अधिकतम छः माह तक उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।
3. यह कि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में उसे परीक्षा में पुनः भाग लेने हेतु एक अतिरिक्त अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा।
4. यह कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उपस्वास्थ्य केन्द्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) के रूप में रिक्त संविदा पद पर चयनित किया जावेगा।

5. यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को संविदा कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि रू. 16,500/—(अक्षरी रूपये सोलह हजार पांच सौ मात्र) मानदेय एकमुश्त एवं साथ में कार्य—प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) दी जायेगी। इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देश लागू होंगे।
6. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को प्रोग्राम स्टडी सेन्टर/प्रशिक्षण स्थल आबंटन उपरांत प्रशिक्षण हेतु अनुपस्थिति की दशा में अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ कर पूर्ण न करने की दशा में प्रशिक्षण संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रेषित प्रवेश शुल्क (रू. 15000/—) की राशि को संबंधित अभ्यर्थियों से लिया जावेगा।
7. यह कि अभ्यर्थी राज्य शासन के पक्ष में अनिवार्यता यह बंधन निष्पादित करता/करती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) के रूप में पदस्थ किये जाने के दिनांक से अभ्यर्थी 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में प्रदान करेगा/करेगी। इस हेतु बंधन की **राशि 2 लाख रू.** होगी। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में 2 वर्ष के लिये CG Nursing Council से निलंबित कर दिया जावेगा अथवा उपरोक्त दोनों स्थिति भी निर्मित की जा सकेगी।
8. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम में सफल होने के उपरांत कम्युनिटी हेल्थ आफिसर के पद पर अभ्यर्थी की पदस्थापना किये जाने पर अभ्यर्थी की राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ विभाग अंतर्गत नियमित नियुक्ति होती है, तो उससे अनुबंध की राशि रू. 2 लाख जमा करना बंधनकारी नहीं होगा।
9. यह कि किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

(..)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला—..
नाम ....
स्थान ....
दिनांक ....

(..)
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम ....
स्थान ....
दिनांक ....

गवाह के हस्ताक्षर

01 नाम ....
हस्ताक्षर ....

02 नाम ....
हस्ताक्षर ....